(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 38 (आर ई - 2012)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक : 25 मार्च, 2013

विषयः- **दालों (काबुली चना और 10,000 टन आर्गेनिक दालों को छोड़कर) के निर्यात पर लगायी गई रोक को दिनांक 31.3.2014 तक विस्तारित किये जाने के संबंध में।**

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं0 15 (आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27.06.2006 के पैरा 3 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

2. प्रारंभ में दालों के निर्यात पर अधिसूचना सं0 15 (आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27.06.2006 के द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए रोक लगायी गयी थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। यह विस्तार अधिसूचना सं0 109 (आर ई - 2010)/2009-2014 दिनांक 27.03.2012 के अनुसार दिनांक 31.03.2013 तक के लिए है। अब, दालों के निर्यात पर लगायी गयी रोक को दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ाया जा रहा है। यह रोक काबुली चना पर लागू नहीं होगी।

3. इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2014 तक दालों के निर्यात पर लगायी जा रही रोक अधिसूचना सं0 51 (आर ई- 2010)/ 2009-2014 दिनांक 03.06.2011 के माध्यम से यथा-अनुमत, प्रति वर्ष 10,000 मी. टन आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के निर्यात पर लागू नहीं होगी। तदनुसार, अधिसूचना सं0 109 (आर ई - 2010)/2009-2014 दिनांक 27.03.2012 के संशोधित पैरा 3(i) का पाठ निम्नानुसार होगाः

" 3(i) दालों के निर्यात पर रोक की वैधता-अवधि को दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ाया जाता है। यह रोक (1) काबुली चना और (2) प्रति वर्ष 10,000 मी. टन आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के निर्यात पर लागू नहीं होगी। आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

(क) मात्रा सीमा 10,000 मी. टन प्रति वर्ष होगी;

(ख) इसे एपिडा के द्वारा आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के रूप में विधिवत प्रमाणित होना चाहिए;

(ग) पोत लदान से पूर्व निर्यात संविदाएं एपिडा, नई दिल्ली के पास पंजीकृत होनी चाहिए;

(घ) निर्यात केवल सीमा-शुल्क ईडीआई पत्तनों से अनुमत होगा।"

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :

दालों के निर्यात पर लगायी गयी रोक को एक और वर्ष के लिए; दिनांक 31.3.2013 से 31.3.2014 तक बढ़ा दिया गया है। परंतु इसके दो अपवाद हैं। पहला अपवाद काबुली चना का निर्यात है। दूसरा, आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स का निर्यात है; परंतु यह प्रति वर्ष 10,000 मी. टन की सीमा के अंदर और ऊपर वर्णित कुछ शर्तों के अध्यधीन है।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/1776/एएम10/एक्सपोर्ट सैल से जारी)